

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

स0आ0स0 :-2/अ0प्र0-8-01/2021 **863** /पटना, दिनांक :- **28/4/23**

निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के पत्रांक 1579 दिनांक 21.12.2021 द्वारा श्री अजय कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या-54/2021, दिनांक 17.12.2021 धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(बी) भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम-2018) दर्ज किये जाने तथा श्री सिंह के पटना स्थित आवासीय मकान एवं कार्यालय पर तलाशी के क्रम में आवासीय मकान से नगद रु० 95,51,000/- (पंचानवे लाख एकावन हजार रुपये), सोना एवं चाँदी के आभूषण मूल्य लगभग रु० 66,51,073/- रु० (छियासठ लाख एकावन हजार तिहत्तर रुपये), जमीन से संबंधित 15 दस्तावेज, विभिन्न बैंकों एवं पोस्ट ऑफिस में 24 खाते एवं एल0आई0सी0 तथा अन्य संस्थानों में निवेश के कागजात बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित किये जाने के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना संख्या-1856 सह-पठित ज्ञापांक-1857 दिनांक 27.12.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही श्री सिंह के विरुद्ध अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया।

2. उक्त निलंबन आदेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-385/2023 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 11.04.2023 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"Taking note of the statements made in the counter affidavit, this Court directs that the disciplinary proceeding against the petitioner be conducted expeditiously and all endeavors be made to conclude the same within a period of 6 months from the date of appearance of the petitioner in the disciplinary proceeding. The petitioner shall also cooperate in conclusion of the proceedings and no uncalled for adjournment shall be sought for."

As regards his prayer for revocation of suspension, he is said to have submitted a representation as contained in Annexure '5' to the writ application on 06.10.2022. Nothing has been said about this in the counter affidavit. This Court, therefore, directs the Secretary, Rural Works Department, Government of Bihar, Patna (respondent no. 2) to consider the representation (Annexure '5') of the petitioner and pass a reasoned order thereon in accordance with law within a period of 30 days from the date of receipt of this order."

This writ application stands disposed of."

3. उल्लेखनीय है कि श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 06.10.2022 में मुख्यतः यह कहा गया कि उनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में विभाग द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के प्रसंग में समर्पित आवेदन पर कृत कार्रवाई की सूचना उन्हें अप्राप्त है एवं निलंबन के 10 माह पश्चात् भी विभागीय कार्यवाही का संचालन आरंभ नहीं हो सका है।

उक्त के अतिरिक्त सदृश्य मामले में अन्य विभाग द्वारा निलंबन से मुक्त किये जाने संबंधी आदेश एवं विभिन्न वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश की प्रति संलग्न करते हुए अन्य विभागों द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में मामले में विचार करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

4. विदित हो कि प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप पर श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के पत्रांक 1579 दिनांक 21.12.2021 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित चल/अचल सम्पत्ति एवं श्री सिंह द्वारा वर्ष-2020-21 में घोषित सम्पत्ति विवरणी के आधार पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 690 अनु0 दिनांक 26.03.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इस प्रसंग में श्री सिंह द्वारा आवेदन दिनांक 05.04.2022 के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु कतिपय कागजातों की याचना की गयी। तदालोक में समीक्षोपरान्त श्री सिंह के द्वारा मांगी गयी कागजातों के संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए विभागीय पत्रांक 276 दिनांक 31.01.2023 द्वारा श्री सिंह को स्पष्टीकरण समर्पित करने का पुनः निदेश दिया गया, किन्तु श्री सिंह द्वारा गठित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित न कर अपने आवेदन दिनांक 06.02.2023 द्वारा कतिपय कागजातों की पुनः मांग की गयी।

मामले के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन उनके द्वारा समर्पित वार्षिक सम्पत्ति विवरणी एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित विवरणी के आधार पर किया गया है, जिसकी प्रति उन्हें आरोप पत्र के साथ ही उपलब्ध करा दी गयी है। गठित आरोपों के बिन्दु पर श्री सिंह द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर बार-बार कागजात की मांग कर मामले को लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है। सम्यक समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की गहन/विस्तृत जाँच के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-17 के संगत प्रावधानों के तहत श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में श्री सिंह के विरुद्ध संकल्प ज्ञापांक-372 दिनांक 21.02.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही मुख्य जाँच आयुक्त के अधीन प्रारंभ की गयी। मुख्य जाँच आयुक्त द्वारा मामले के संचालन हेतु डॉ० एन० सरवण कुमार, भा० प्र० से०, सचिव, कृषि विभाग-सह-जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को हस्तांतरित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्यानुपातिक धनार्जन संबंधी गंभीर कदाचार के आरोप पर श्री सिंह के विरुद्ध वर्तमान में विभागीय कार्यवाही संचालित है।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) में सरकारी सेवक के निलंबन के संबंध में नियम-9(1)(क) एवं (ग) में निम्न प्रावधान है :-

(क) सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जानी हो या लंबित हो, अथवा

(ग) सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन हो और सक्षम प्राधिकार का यह समाधान हो गया हो कि लोकहित में सरकारी सेवक को निलंबित करना समीचीन है।

श्री २०

21/4/2023

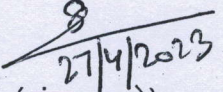
6. श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 06.10.2022 में वर्णित सदृश्य मामले में अन्य विभाग द्वारा निलंबन से मुक्त किये जाने संबंधी आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों के अवलोकनोपरान्त यह पाया गया कि उक्त आदेशों में अन्य विभाग द्वारा किस परिस्थिति में आरोपित को निलंबन से मुक्त किया गया है, स्पष्ट नहीं है। जहाँ तक संलग्न किये गये माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों का प्रश्न है, उक्त न्यायादेश विभागीय कार्यवाही के प्रसंग में है न कि केवल निलंबन के संबंध में है।

श्री सिंह के विरुद्ध कार्रवाई प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में की जा रही है, जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में है। श्री सिंह के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामला सम्प्रति विचारण के अधीन है। प्रश्नगत मामले में श्री सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) गठित कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी, किन्तु उनके द्वारा गठित आरोपों के बिन्दु पर अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया, बल्कि बार-बार कागजात की मांग कर मामले को टालने अथवा लंबित रखने का प्रयास किया गया, जो इनके असहयोगात्मक रवैया को दर्शाता है। साथ ही सम्प्रति श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है।

7. उपर्युक्त कंडिका-5 एवं 6 में वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौड़ी सम्प्रति निलंबित को तत्काल निलंबन से मुक्त करने का कोई आधार परिलक्षित नहीं होता है।

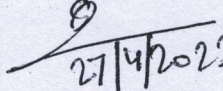
8. अतः सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-385/2023 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 11.04.2023 के अनुपालन में श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौड़ी सम्प्रति निलंबित के अभ्यावेदन दिनांक 06.10.2022 को प्रतिवादी संख्या-2 (सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना) द्वारा समीक्षोपरान्त अस्वीकृत किया गया है।

इस सकारण आदेश पर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


27/4/2023
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

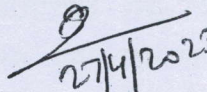
ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-08-01/2021 863 /पटना, दिनांक :- 28/4/23

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मसौड़ी/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


27/4/2023
विशेष सचिव
नीरम

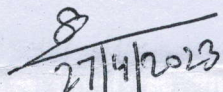
ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-08-01/2021 863 /पटना, दिनांक :-28/4/23

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना/तकनीकी परामर्शी (विधि), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-12, ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


27/4/2023
विशेष सचिव

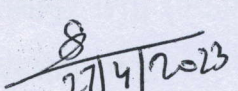
ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-08-01/2021 863 /पटना, दिनांक :-28/4/23

प्रतिलिपि:- श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय :-अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


27/4/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :-2/अ0प्र0-08-01/2021 863 /पटना, दिनांक :-28/4/23

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को अवलोकनार्थ प्रेषित।


27/4/2023
विशेष सचिव

18

26

आ.प्र. त. १५-०८